न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

वादपत्र संख्या 42 / 2024

दायर तारीख 29.01.2024

अनवान्

01. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादी

बनाम्

01. जमनालाल पुत्र भूरा जाति रेगर निवासी जावदा, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........प्रतिवादी

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार।
2. मुकेश धाकड़ – अधिवक्ता प्रतिवादी।

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 22/07/2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बिजौलियां खुर्द पटवार मण्डल बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी संख्या 2241 / 311 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि प्रतिवादी के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी संख्या 2241 / 311 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि में खातेदार की मौके पर काश्त नहीं हैं। उक्त आराजी पर प्रतिवादी को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादी द्वारा भूमि कृर्षि कार्य हेतु उपयोग नहीं ली जाकर गैर कृषि कार्य कार्य किया गया। प्रतिवादी ने खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नहीं कर आराजी संख्या 2241 / 311 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि पर रलाव (मिट्‌टी का ढेर) पड़ा हुआ हैं। अतः प्रतिवादी की ग्राम बिजौलियां खुर्द की आराजी संख्या 2241 / 311 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये।

विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता मुकेश धाकड ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। तथा जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं। अधिवक्ता विपक्षी ने जवाब दावे में अंकित किया कि ग्राम बिजौलियां खुर्द की आराजी संख्या 2241/311 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी के नाम पर दर्ज रेकार्ड हैं प्रतिवादी द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर काश्त की जाती रही थीं किन्तु कुछ दिनों से प्रतिवादी गंभीर रूप से बीमार होने से उक्त आराजी पर नही जा सका उस अवधि के दोहरान कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उक्त आराजी पर मलबा डाल दिया गया। मौका पर्चा मन माफिक बिना काई जांच किये, बिना प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिये, प्रतिवादी की अनुपस्थिति में मन माफिक रूप से कायम किया गया हैं जो काबिल निरस्ती के हैं।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम बिजौलियां खुर्द प0ह0 बिजौलियां खुर्द की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078, नक्शा ट्रेस एवं मौका पर्चा ग्राम बिजौलियां खुर्द जी.आई. एस. मैप की प्रति प्रस्तुत की हैं।

प्रकरण में वादी ने पी–डब्ल्यू– 1 लाभचन्द पिता रमेशचन्द मीणा पटवारी प0ह0 बिजौलियां खुर्द के बयान कराये जाकर शामिल पत्रावली हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

पी–डब्ल्यू– 1 लाभचन्द पिता रमेशचन्द मीणा पटवारी प0ह0 बिजौलियां खुर्द ने अपने बयान में लिखाया कि ग्राम बिजौलियां खुर्द की आराजी संख्या 2241/311 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि जमनालाल पुत्र भूरा जाति रेगर सा0 जावदा के नाम पर दर्ज रेकॉर्ड हैं। दिनांक 17.01.2024 को उक्त भूमि का निरीक्षण किया गया तो उक्त भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर मौके पर रलाव (मिट्‌टी का ढेर) पड़ा होने से कृषि उपयोग नही हो रहा हैं जिसका पर्चा मौका तैयारर किया गया जो प्रदर्श 1 होकर उस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

जिरह – वादग्रस्त आराजी 2241/311 के आस पास कोई खान नही हैं हमने मौका देखा उससे पहले उक्त आराजी उबड़ खाबड हो तो मुझे जानकारी नही हैं मौका निरीक्षण की दिनांक से पूर्व आराजी में जाना नही हुआ हैं। वादग्रस्त आ0 नं0 2241/311 पर जाने का कदमी रास्ता है जिस पर पैदल आया जाया जा सकता है। यह कहना सही हैं कि वादग्रस्त आराजी पर मिटटी का ढेर पड़ा हुआ हैं। उक्त वादग्रस्त आराजी के यदि काश्तकार खेती करना चाहते है तो मिट्‌टी के ढेर को हटाने के पश्चात उसे समतल करके कृषि कर सकता हैं।

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

प्रकरण में वादी द्वारा अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

अधिवक्ता विपक्षी एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया अधिवक्ता विपक्षी एवं पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया।

–: आदेश :–

प्रस्तुत वादपत्र **अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम बिजौलियां खुर्द पटवार मण्डल बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी संख्या 2241/311 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि को पत्रावली में उपलब्ध नक्शा ट्रेस अनुसार बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 22/07/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 42 / 2024 दायर तारीख 29.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........डिक्रीदार

बनाम्

जमनालाल पुत्र भूरा जाति रेगर निवासी जावदा, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... मदयूनान

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 22 / 07 / 2025

डिक्री दिनांक 22 / 07 / 2025

–: डिक्री :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार सरकार के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :–

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम बिजौलियां खुर्द पटवार मण्डल बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी संख्या 2241 / 311 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि को पत्रावली में उपलब्ध नक्शा ट्रेस अनुसार बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। तहसीलदार बिजौलियां भूमि को बिलानाम सरकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर पालना न्यायालय को शीघ्र भिजवाएें। तहसीलदार बिजौलियां को पालनार्थ तहरीर जारी हो। डिक्री मूर्तिब की गई। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

मौजा ______Nil____________मुबलिग ________ Nil ______________ बाबत __

_ Nil __खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर ________ Nil __________ फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ______ Nil ______ का अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 07 वर्ष 2025 को जारी किया गया ।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुदई	रुपया	पैसे		रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया			स्टाम्प अरजीदया		
स्टाम्प वकीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुनफरिक			मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां